न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2020/00415 अपील सं. 452/20

1. मैसर्स अरावली कास्टींग, प्लॉट नम्बर 983, रामनगर कॉलोनी, शास्त्रीनगर जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. अतिरिक्त कलेक्टर वसूली, जयपुर कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, बनीपार्क, जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 20.07.2016 न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर वसूली, जयपुर तहत उनवानी प्रकरण अधिशाषी अभियन्ता बनाम मैसर्स अरावली कास्टींग प्रकरण संख्या 11/2012—13 जिसके द्वारा प्रार्थी की धारा 8(3) राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट तहत पेश।

उपस्थित—

1. श्री विवेक शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पों. नं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक —08.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर वसूली, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.07.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा दफा 5 परिसीमा अधिनियम के साथ दिनांक 10.10.2017 को प्रस्तुत हुई है।

2. अपील का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि न्यायालय अपर कलेक्टर(वसूली), जयपुर के द्वारा अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड —तृतीय बीसलपुर, परियोजना, देवली (जिसे आगे विभाग कहा जायेगा) द्वारा पिटीशनर के विरूद्व बकाया राशि 2,86,030/— रूपये की वसूली हेतु पी.डी.आर एक्ट की धारा 3 के तहत प्रमाण पत्र जारी कर पीडीआर एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही करने हेतु दिनांक 14.12.12 को भिजवाया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रमाण पत्र की नियमानुसार प्राथमिक जांच करने पर पिटीशनर के विरूद्व कार्यादेश संख्या 3451—57 दिनांक 12.07.2002 की अनुपालना नहीं होने की दशा में विभाग को हुई क्षति राशि की वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया जाना विदित हुआ एवं प्रमाण पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही पायी गयी। प्रमाण पत्र विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित हैं। परीक्षण के आधार पर बाकीदार मैसर्स अरावली कास्टींग, प्लॉट नम्बर 983, रामनगर कॉलोनी, शास्त्रीनगर जयपुर को पी.डी.आर एक्ट की धारा 6 के तहत प्रपत्र नम्बर 3 में नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील के पश्चात निर्धारित 1 माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी बाकीदार द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया तथा दावाखण्डन याचिका भी दायर नहीं की गई फलस्वरूप बाकीदार के विरूद्व वसूली को उचित मानते हुए वसूली का नोटिस एवं वारंट की कुर्की जारी किया गया। तत्पश्चात बाकीदान ने दिनांक 09.07.2013 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश —9 रूल 13 सि0प्र0 सं0 प्रस्तुत किया जिसमें पारिवारिक परेशानी एवं बीमारी के कारण उत्तर व दावा खण्डन याचिका अन्तर्गत 8 (पीडीआर एक्ट) प्रस्तुत नहीं की जा सकने का उल्लेख करते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने का अनुरोध किया जिसे स्वीकार किया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (वसूली) शहर पूर्व जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.07.2016 द्वारा बाकीदार/आपत्तिकर्ता की दावा खण्डन याचिका अस्वीकार की जाकर प्रकरण में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर (वसूली) शहर पूर्व जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 20.07.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट मैसर्स अरावली कास्टींग, प्लॉट नम्बर 983, रामनगर कॉलोनी, शास्त्रीनगर, जयपुर द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर (वसूली) शहर पूर्व जयपुर दिनांक 20.07.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्याायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय अपर कलेक्टर(वसूली), जयपुर के द्वारा अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड –तृतीय बीसलपुर, परियोजना, देवली (जिसे आगे विभाग कहा जायेगा) द्वारा पिटीशनर के विरूद्व बकाया राशि 2,86,030/– रूपये की वसूली हेतु पी.डी.आर एक्ट की धारा 3 के तहत प्रमाण पत्र जारी कर पीडीआर एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही करने हेतु दिनांक 14.12.12 को भिजवाया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रमाण पत्र की नियमानुसार प्राथमिक जांच करने पर पिटीशनर के विरूद्व कार्यादेश संख्या 3451–57 दिनांक 12.07.2002 की अनुपालना नहीं होने की दशा में विभाग को हुई क्षति राशि की वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया जाना विदित हुआ एवं प्रमाण पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही पायी गयी। प्रमाण पत्र विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित हैं। परीक्षण के आधार पर बाकीदार मैसर्स अरावली कास्टींग, प्लॉट नम्बर 983, रामनगर कॉलोनी, शास्त्रीनगर जयपुर को पी.डी.आर एक्ट की धारा 6 के तहत प्रपत्र नम्बर 3 में नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील के पश्चात निर्धारित 1 माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी बाकीदार द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया तथा दावाखण्डन याचिका भी दायर नहीं की गई फलस्वरूप बाकीदार के विरूद्व वसूली को उचित मानते हुए वसूली का नोटिस एवं वारंट की कुर्की जारी किया गया। तत्पश्चात बाकीदान ने दिनांक 09.07.2013 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश –9 रूल 13 सि0प्र0 सं0 प्रस्तुत किया जिसमें पारिवारिक परेशानी एवं बीमारी के कारण उत्तर व दावा खण्डन याचिका अन्तर्गत 8 (पीडीआर एक्ट) प्रस्तुत नहीं की जा सकने का उल्लेख करते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने का अनुरोध किया जिसे स्वीकार किया गया है। तदोपरान्त बाकीदार ने पिटीशन दावा खण्डन याचिका अन्तर्गत धारा 8 (पीडीआर एक्ट) प्रस्तुत की जिसका संक्षिप्त निम्न प्रकार है:– विभाग द्वारा कार्यादेश क्रमांक 3451 दिनांक 12.04.2002 आईटम 12 के लिए जारी किया गया जिसमें निविदा राशि 3,59,000/– निर्धारित की गई तदानुसार पिटीशनर द्वारा कार्य आरंभ किया गया विभाग के पत्र दिनांक दिनांक 16.11.2002 जो कि अधीक्षण अभियन्ता डेम सर्किल बीसलपुर देवली को संबोधित था, से ड्राईंग परिवर्तन का सुझाव दिया गया, पिटीशनर द्वारा कार्यादेश अनुसार मैटेरियल तैयार कर मौके पर ले जाया गया परन्तु मौके पर ले जाया गया परन्तु मौके साईट पर उपस्थित सहायक अभियन्ता ने मैटेरियल को लेने से इन्कार कर दिया गया कहा कि इसमें कुछ और परिवर्तन किये जाने हैं, पिटीशनर ने तब दिनांक 23.10.2003 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्तानुसार मैटेरियल तैयार करने ओर अधिक समय लगेगा 2 माह का समय ओर दिया जावे परन्तु विभाग ने प्रार्थना पत्र पर बिना विचार किये अपने पत्र क्रमांक 1474 दिनांक 03.11.2003 से सूचित किया कि आपके विरूद्व अनुबंध की धारा संख्या 2 व 3 के तहत कार्यवाही की जावेगी इस बीच पिटीशनर निरंतर कार्यालय में उपस्थित होकर ओर समय दिये जाने हेतु निवेदन करता रहा परन्तु विभाग ने कोई सुनवाई न करते हुए ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर वसूली प्रकरण अन्तर्गत धारा 4 पीडीआर एक्ट 1952 के तहत प्रेषित कर दिया। विभाग द्वारा स्वयं की कार्यादेश एवं परिवर्तन कर अनुबंध का उल्लघंन किया गया हैं पिटीशनर को उसके प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया गया न

परिवर्तन के संबंध में नियमानुसार नोटिस दिया गया ऐसी दशा में कार्यादेश पालना योग्य नही रह जाता है। मैटेरियल साईट पर ले जाने एवं वापस लाने में पिटीशनर को भारी असुविधा एवं वित्तीय नुकसान झेलना पडा। इस प्रकार मांग राशि पब्लिक डिमाण्ड नहीं होने की दशा में विभाग स्वयं धारा 2 व 3 के तहत हुई क्षति एवं पिटीशनर को हुई असुविधा एवं वित्तीय हानि के लिए जिम्मेदार है। विभाग द्वारा दावा खण्डन याचिका में वर्णित बिन्दुओं का उत्तर निम्न प्रकार प्रस्तुत किया कि बाकीदार फर्म द्वारा कार्यादेश के अनुसार कार्य दिनांक 21.10.2002 तक 3 माह में पूर्ण किया जाना अपेक्षित था उक्त कार्य की ड्राईंग केन्द्रीय जल आयोग अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अनुमोदित होनी थी। फर्म को ड्राईंग विभाग के कार्यालय के पत्र दिनांक 20.08.02 द्वारा उपलब्ध करायी गई थी जिसे फर्म ने दिनांक 10.12.2002 को आईडी आर से अनुमोदित करवाया। अनुमोदन की शर्तानुसार निविदा दर रूपये 3,59,000/– का 5 प्रतिशत राशि रूपये 17950/– का भुगतान फर्म द्वारा 2 स्टेज अमेण्डेड पार्ट लगाने की ड्राईंग माह 9/2003 तक प्रस्तुत नहीं की गई चूंकि फर्म को उक्त कार्य निर्धारित ड्राईंग/डिजाइन/स्पेसिफिकेशन के अनुसार शीघ्र पूर्ण करने हेतु पत्र व्यवहार किया गया। पत्र व्यवहार के उपरान्त भी पिटीशनर द्वारा साईट पर किसी प्रकार का भौतिक कार्य सम्पादित नहीं किया गया। कार्यालय का पत्रांक 6232 दिनांक 10.02.2004 द्वारा फर्म के विरूद्व धारा 2 के अनुसार कार्यादेश राशि 3,59,000 का 10 प्रतिशत आरोपित कर एवं धारा 3 के तहत उक्त कार्य संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट दर पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता बांधवृत बीसलपुर परियोजना देवली को अनुरोध किया गया जिस पर मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई फलस्वरूप राशि 2,86,030/– रूपये की वसूली हेतु प्रकरण पीडीआर एक्ट में भेजा गया। विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2237 दिनांक 04.03. 2004 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बाकीदार फर्म द्वारा समय पर मैटेरियल प्रस्तुत नहीं करने का उल्लेख करते हुए अनुबंध की धारा 2 के तहत संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर करने की स्वीकृति प्रदान की गई इस प्रकार आपत्ति खारिज करने का आग्रह किया। इस पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की आपत्ति अपने निर्णय दिनांक 20.07.2016 के द्वारा खारिज फरमाई गई। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का गलत अर्थान्वयन कर प्रार्थी की आपत्ति खारिज किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट की धारा 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्व कोई विधितः प्रवर्तनीय पब्लिक डिमान्ड होने पर उक्त ऋण की वसूली के लिए अधिकृत अधिकारी इस आशय का मांग पत्र संबंधित कलेक्टर को पेश करेगा। उक्त मांग पत्र विहीत रीति (फार्म नम्बर 1 नियम 5) से भरकर पेश किया जावेगा जिसमें उक्त बकाया राशि, उसकी अवधि और व्यक्ति का नाम आज्ञापक रूप से भरे जावेंगे। इस पर संबंधित कलेक्टर के द्वारा धारा 4 में कलेक्टर के विधिक आधारों पर इस बाबत संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त मांग राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट के अधीन वसूली योग्य है, इस आशय का सर्टिफिकेट हस्ताक्षरित करेगा। उक्त सर्टिफिकेट सिविल न्यायालय की डिक्री के समान महत्ता रखने के कारण कलेक्टर के लिए यह आज्ञापक है कि वह उक्त सर्टिफिकेट को सामान्य प्रक्रम में ना भरकर इस बाबत प्रथतया अपनी सतुंष्टि पर की उक्त वसूली बताये गये व्यक्ति से वसूलने योग्य है, तभी इस आशय के सर्टिफिकेट पर अपने हस्ताक्षर करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में कोई विवेचन किये बिना एवं अपेक्षित संतुष्टि किये बिना उक्त वसूली नोटिस प्रार्थी के नाम जारी कर दिये गये। जो आज्ञापक प्रावधानों के विपरित होने से उक्त वसूली की समस्त प्रक्रिया प्रार्थी के विरूद्व दूषित हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है। जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। यह कि राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट की धारा 3 के अनुसार रेक्विजिशन प्राप्त होने पर कलेक्टर(वसूली) इस बात की सन्तुष्टि होने पर कि मांग इस एक्ट के तहत वसूली योग्य है तथा वसूली किसी प्रचलित

संभागीय आयुक्त

कानून से बाधित नहीं है, प्रमाण पत्र पर आवश्यक इन्द्राजात वसूली राशि तथा अन्य विवरण अंकित करते हुए हस्ताक्षर करता हैं एवं निर्धारित पंजिका में पंजीबद्व किया जाता है। राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट की धारा 3 के तहत वही मांग वसूल योग्य है जो कि पब्लिक डिमाण्ड की परिभाषा में आती है जैसी धारा 2(5) में परिभाषित की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा भेजे गए रेक्विजिशन सर्टिफिकेट में अंकित मांग किसी भी तरह से पब्लिक मांग की परिभाषा में नही आती है। ना तो यह मांग किसी करार के विघटन से प्रोद्भूत है, ना किसी संविदा भंग से, ना किसी दस्तावेज के तहत है ना ही गबन, न्यास भंग के तहत उत्पन्न है। यह कि सर्वप्रथम तथ्य तो यह है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यादेश क्रमांक 3451 दिनांक 12.01.2002 आईटम 12 के लिए जारी किया गया जिसमें निविदा राशि रूपये 3,59,000/– निर्धारित की गई तदनुसार पिटीशनर द्वारा कार्य आरंभ किया गया विभाग के पत्र दिनांक 16.11.2002 जो कि अधीक्षण अभियन्ता डेम सर्किल बीसलपुर देवली को सम्बोधित था, से ड्राईंग परिवर्तन का सुझाव दिया गया, पिटीशनर द्वारा कार्यादेश अनुसार मैटेरियल तैयार कर मौके पर ले जाया गया परन्तु मौके साईट पर उपस्थित सहायक अभियन्ता ने मैटेरियल को लेने से इन्कार कर दिया गया कहा कि इसमें कुछ और परिवर्तन किये जाने हैं। जिससे प्रार्थी को उक्त समान वापस लाना पड़ा जिसमें उसे काफी नुकसान भी कारित हुआ। इस प्रकार माल वापस कर दिये जाने और उसमें परिवर्तन हेतु सुझाव दिये जाने पर प्रार्थी ने दिनांक 23.10.2003 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्तानुसार मैटेरियल तैयार करने में ओर अधिक समय लगेगा 2 माह का समय ओर दिया जावे परन्तु विभाग ने प्रार्थना पत्र पर बिना विचार किये अपने पत्र क्रमांक 1474 दिनांक 03.11.2003 से सूचित किया कि आपके विरूद्व अनुबंध की धारा संख्या 2 व 3 के तहत कार्यवाही की जावेगी जबकि प्रार्थी निरंतर कार्यालय में उपस्थित होकर ओर समय दिये जाने हेतु निवेदन करता रहा परन्तु विभाग ने कोई सुनवाई न करते हुए ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर वसूली प्रकरण अन्तर्गत धारा 4 पीडीआर एक्ट 1952 के तहत प्रेषित कर दिया। विभाग द्वारा स्वयं की कार्यादेश एवं परिवर्तन कर अनुबंध का उल्लघंन किया गया हैं पिटीशनर को उसके प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया गया न परिवर्तन के संबंध में नियमानुसार नोटिस दिया गया ऐसी दशा में कार्यादेश पालना योग्य नही रह जाता है। यह कि स्वयं विभाग के अधिकारियों के द्वारा पूर्व स्वीकृत डिजाईन में परिवर्तन किये जाने का आदेश दिये जाने से उक्त कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका जबकि अपीलार्थी के द्वारा स्वीकृत डिजाईन के अनुरूप कार्य नियत समयावधि में ही पूर्ण कर दिया था। अब विभाग अपने द्वारा किये गये कथनो से विपरित कथन किये जाने से पूर्णतया विधितः एस्टोप्पड है। विभाग अपनी गलती के लिए अपीलार्थी को किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। इसलिए बिना किसी विधिक आधार के उक्त अदायगी का दायित्व किसी भी प्रकार से अपीलार्थी पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थी के विरूद्व मात्र विभागीय जॉच के आधार पर वसूली नोटिस जारी किया गया है। जबकि उक्त विभागीय जॉच के संबंध में अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। जो विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्व होने से पोषणीय ही नहीं है। विभाग के अधिकारियों की उक्त विधि विरूद्व कार्यवाही से प्रार्थी पर उक्त राशि की वसूली बाबत कोई उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बाबत कोई विवेचन किये बिना प्रश्नगत निर्णय कारित किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रेषित नोटिस अन्तर्गत धारा 6 के साथ धारा 4 व 5 के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न नहीं की गई है, जो कि आज्ञापक है। इस प्रकार आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी किये जाने से भी उक्त वसूली की कार्यवाही दूषित हो जाने से निरस्तनीय है। जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में

संभागीय आयुक्त

कोई विवेचन नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पात्र पीडीआर एक्ट की धारा 3 को सही पाया गया। बाकीदार/आपत्तिकर्ता की दावा खण्डन याचिका अस्वीकार की जाकर प्रकरण में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि मैसर्स अरावली कास्टींग, प्लॉट नं. 983, रामनगर कॉलोनी, शास्त्रीनगर जयपुर (बाकीदार) द्वारा कथन किया गया है कि विभागीय आदेश एवं स्पोसिफिकेशन के आधार पर गेट बनाकर सप्लाई हेतु साईट पर भेजे गये थे, किन्तु इसका कोई प्रमाण/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे इस कथन की पुष्टि होती हो, बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य स्वरूप नहीं माना जा सकता है कि बाकीदार द्वारा विभागीय स्पेसिफिकेशन के आधार पर गेट बनाकर साईट पर भेजे गये थे। बाकीदार द्वारा मुख्य नहर के हेड रेगुलेटर में गेट नहीं लगाऐ जाने के कारण विभाग को अन्य फर्म से कार्य करवाना पडा जिस कारण विभाग को वित्तीय हानि हुई। इन्हीं तथ्यों को आधार मानकर महालेखाकार निरीक्षण दल द्वारा भी ऑडिट पैरा बनाया गया है। विभाग द्वारा परीक्षण कर प्रकरण तैयार कर प्रमाणपत्र भेजा गया है, जिसे मात्र अंकेक्षण दल की कार्यवाही के आधार पर भेजा गया प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है। अतः विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र पीडीआर एक्ट की धारा 3 को सही पाया गया। जिसके आधार पर बाकीदार/आपत्तिकर्ता की दावा खण्डन याचिका अस्वीकार की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर वसूली, जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2016 पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रृटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अ अतिरिक्त कलक्टर वसूली, जयपुर द्वारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2016 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 8/1/24 .....को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।